प्ररूप–ड

नियम 10 (2) (3)

न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण, चूरू

पीठासीन अधिकारी, सुश्री श्वेता कोचर, उपखण्ड अधिकारी, चूरू

भरण पोषण का आवेदन संख्या : 03/2018 निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

1. विश्वनाथ पुत्र विहारीलाल बउम्र 67 वर्ष
2. श्रीमती रेशमीदेवी पत्नी विश्वनाथ बउम्र 61 वर्ष

} जाति भार्गव निवासी वार्ड सं. 10 रतननगर जिला चूरू

बनाम

1. मुनेशकुमार पुत्र विश्वनाथ
2. सोनी उर्फ पूजा पत्नी मुनेशकुमार
3. गणेशकुमार पुत्र विश्वनाथ
4. ज्योति पत्नी गणेशकुमार
5. अरूणकुमार पुत्र विश्वनाथ

} जाति भार्गव निवासी वार्ड सं. 10 रतननगर जिला चूरू

–अप्रार्थीगण–

– : : आदेश : : –

यतः माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन एक आवेदन–पत्र प्रार्थीगण द्वारा अधिकरण के समक्ष फाईल किया गया है कि संतान द्वारा आवेदकगण का भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है और यतः संदर्भित आवेदन पर पक्षकारान को नोटिस द्वारा बुलाया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 पर नोटिस विधिवत तामील हो चुकी है परन्तु उपस्थित नहीं हुए हैं। अप्रार्थीगण ने अपने माता–पिता की पूर्णतया उपेक्षा कर रखी है तथा प्रार्थीगण की कोई सेवा–सुश्रुषा नहीं करते हैं। प्रार्थीगण बीमार रहते हैं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को भरण पोषण तथा बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1. मुनेशकुमार पुत्र विश्वनाथ, 3. गणेशकुमार पुत्र विश्वनाथ, 5. अरूणकुमार पुत्र विश्वनाथ समस्त जाति भार्गव निवासी वार्ड सं. 10, रतननगर जिला चूरू को प्रत्येक को अपने माता–पिता को 1500–1500 रूपये प्रतिमाह माह जनवरी 2019 से देने के निर्देश भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा–10 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। यह राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थीगण को देनी होगी। उक्त प्रत्येक अप्रार्थीगण द्वारा 1500/– 1500/– रूपये प्रतिमाह अदा नहीं किये जाने की सूरत में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्यवाही बिना नोटिस दिये की जावेगी। साथ ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण समस्त को पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे को रिहायशी मकान से बेदखल न करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
पीठासीन अधिकारी
अधिकरण भरण पोषण अधिनियम
(उपखण्ड अधिकारी) चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू